संख्या-301 /2026/ 62/नौ-9-2026-001-ई-1722039

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषयः राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गाजियाबाद शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-40/2023/1253/नौ-9-2023-001-ई-1722039, दिनांक 27.09.2023 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गाजियाबाद शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु रू0 8575.71 लाख (रूपये पचासी करोड़ पचहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2143.9275 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ तैंतालिस लाख बानवे हजार सात सौ पचास मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद के पत्र दिनांक 17.10.2025 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-4022/106(3)/SSCM/2020-21, दिनांक 27.11.2025 के माध्यम से संदर्भगत परियोजना की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गाजियाबाद शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु अनुबंध लागत (जी0एस0टी0 सहित) रू0 5363.03 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 1610.1935 लाख (रूपये सोलह करोड़ दस लाख उन्नीस हजार तीन सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1)स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों एवं शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2)उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2026 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3)शासनादेश संख्या-40/2023/1253/नौ-9-2023-01-ई-1722039, दिनांक 27.09.2023 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1610.1935 लाख (रूपये सोलह करोड़ दस लाख उन्नीस हजार तीन सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 12-01-2026
17:05:34

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-301 2026/ 62 /नौ-9-2026-001-ई-1722039, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, मेरठ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।
10. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।